<u>न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर</u>

<u>अपील/डिक्री/टी ए/860/2006/नागौर</u>

1.पेम सिंह पुत्र कालू सिंह जाति पुरोहित निवासी बासनी लूणकरण (पुरोहितासनी) तहसील रियाबडी जिला नागौर

अपीलार्थी

बनाम

1. हीरा राम
2. भंवराराम पुत्रगण गोकलराम जाति जाट निवासीगण बासनी लूणकरन(पुरोहितासनी) तहसील रियाबडी जिला नागौर

प्रत्यर्थीगण

<u>खण्ड पीठ</u>

श्री सूरजभान जैमन, सदस्य

श्री रामनिवास जाट सदस्य

<u>उपस्थित</u>

श्री घनश्याम सिंह लखावत अभिभाषक अपीलार्थी

श्री भीयाराम चौधरी अभिभाषक प्रत्यर्थीगण

<u>निर्णय</u>

दिनांकः 21–5–2019

1. यह अपील राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर के निर्णय व डिक्री दिनांक 2–2–2006 के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी

अधिनियम 1955(संक्षेप में अधिनियम) की धारा 224 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई हैं।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी वादी ने प्रत्यर्थीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक वाद अधिनियम की धारा 88 व 188 के तहत वाद पत्र में अंकित आराजी के बाबत सहायक कलेक्टर मेडता के न्यायालय में पेश किया। विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर मेडता ने वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया। प्रतिवादीगण की ओर से जबाब दावा पेश होने पर दावा एवं जबाब दावा के आधार पर अनुतोष सहित कुल तीन तनकीयात कायम की। जबाब दावा पेश होने के बाद प्रतिवादीगण के अभिभाषक द्वारा No instruction Plead करने पर उनके विरूद्ध दिनांक 20-4-2002को एक पक्षीय कार्यवाही की गई। तत्पश्चात अभिभाषक अपीलार्थी वादी की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 8-7-2002से दावा वादी प्रतिवादीगण संख्या 1 व2 के विरूद्ध डिक्री कर दिया। इससे व्यथित होकर प्रत्यर्थी संख्या 1व2 ने राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 2-2-2006से अपील स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 8-7-2002 को निरस्त कर दिया। इससे व्यथित होकर यह द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3. उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि विचारण न्यायालय ने प्रकरण में तनकीयात कायम कर विवादित भूमि के चर्तुदिशा के पडौसी काश्तकारों के बयान तथा कब्जा काश्त बाबत दस्तावेजी सबूत के आधार पर निर्णय पारित किया था परन्तु राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर ने दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य का विवेचन किये बिना ही निर्णय पारित करने में विधिक त्रुटि की है। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्पष्ट रूप से मियाद बाहर थी तथा मियाद को क्षमा किये जाने का कोई सन्तोषजनक कारण नहीं था। आदेश

41नियम 27 जाब्ता दीवानी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने का कोई विधिक आधार नहीं होते हुये भी सरसरी तौर पर निर्णय पारित कर प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने में विधिक त्रुटि की है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने के बाद अपीलार्थी को रिबटल का अवसर प्रदान नहीं कर सीधे ही निर्णय पारित कर दिया। उनका तर्क है कि अपीलार्थी का वाद इस आधार पर था कि भूमि पर कब्जा काश्त सेटिलमेन्ट से पूर्व उनका रहा है तथा सेटिलमेन्ट ने जो पर्चा वितरित किया वह गलती से प्रत्यर्थी के पिता के नाम अंकित कर दिया। परन्तु राजस्व अपील प्राधिकारी ने अपने निर्णय में अलग अलग वर्षो में अपीलार्थी द्वारा काश्त की गई भूमि के रकबे में कमी बेशी पर आधारित कर विधिक त्रुटि की है। क्योंकि भूमि बारानी है। काश्तकारी कार्य बारिस तथा संशाधनों की उपलब्धता पर आधारित है। इसके अतिरिक्त राजस्व अपील प्राधिकारी ने अपील को स्वीकार किया है तो उनके लिये यह आज्ञापक था कि वह तनकीवार विश्लेषण कर निर्णय पारित करते। साथ ही यदि प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई थी तो अपील को पूर्ण रूप से स्वीकार न कर प्रकरण को विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना चाहिये था। इसलिये राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। अपने कथन के समर्थन में ए आई आर 1994 एस सी पेज227 की नजीर पेश की।

5. जबाब में प्रत्यर्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि विचारण न्यायालय ने अवैध रूप से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाकर निर्णय पारित किया है। दिनांक 20–4–2002को अभिभाषक प्रतिवादी ने No instruction Plead किया। तत्पश्चात उन्हें सूचित किये बिना एकतरफा में निर्णय पारित कर दिया। जबकि न्यायालय का यह दायित्व था कि वह पक्षकार को सूचित करते।उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका ही नहीं दिया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का विवेचन कर विधिसम्मत निर्णय पारित किया है। इसलिये अपील खारिज की जावे। अपने कथन के

समर्थन में आर आर डी 1994 पेज 172, 2003आर बी जे पेज 44, ए आई आर 1998 एस सी पेज 258 की नजीरें पेश की।

6. हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का भी बारीकी से अध्ययन किया।

7. विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रतिवादीगण की ओर से जबाब दावा पेश होने पर दावा एवं जबाब दावा के आधार पर अनुतोष सहित कुल तीन तनकीयात कायम की। जबाब दावा पेश होने के बाद प्रतिवादीगण के अभिभाषक द्वारा No instruction Plead करने पर उनके विरूद्ध दिनांक 20–4–2002को एक पक्षीय कार्यवाही की गई। तत्पश्चात अभिभाषक अपीलार्थी वादी की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 8–7–2002से दावा वादी प्रतिवादीगण संख्या 1 व2 के विरूद्ध डिक्री कर दिया। दिनांक 20–4–2002 को अभिभााक प्रतिवादी के No instruction Plead करने के बाद आगामी तारीख पेशी क्रमशः दिनांक 14–6–2002 एवं दिनांक 27–6–2002 नियत कर दिनांक 1–7–2002को वकील वादी की एकतरफा बहस सुनकर दिनांक 8–7–2002 को दावा वादी डिक्री किया गया है। अभिभाषक प्रतिवादी के No instruction Plead करने के बाद न्यायालय का यह दायित्व था कि वह प्रतिवादीगण को सूचित करते और सूचित करने के बाद ही प्रकरण में आगामी कार्यवही अमल में लाई जानी चाहिये थी जैसा कि आर आर डी 1994 पेज 172 2003आर बी जे पेज 44, ए आई आर 1998 एस सी पेज 258 में सिद्धान्त प्रतिपादित किया है आर आर डी 1994पेज 172 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि–

Code of Civil Procedure (a) Order 3, Rule 4(2) read with Rule 12 of the Bar Council Rules - Rule 12 of the Bar Council Rules provides that an advocate shall not ordinarily withdraw from engagement once accepted without sufficient cause and unless reasonable and sufficient notice is

given to the client and that upon his withdrawal from a case, he shall refund such part of the fee as has not been earned- Without complying with the latter part of the rule, ordinarily the advocate should not be permitted to retire from the case- Before doing so, the court must feel satisfied that the provisions of the aforesaid rule are complied with -Thereafter the court ought not to proceed further in the absence of the parties -The court itself must make efforts to secure the presence of the parties- If this is not done, the object and spirit with which the aforesaid rule has been enacted by the Bar Council of India, will be frustrated -Moreover, the basic principals of natural justice will also be violated.

(b) Order 9,Rule 9 - In a case in which the advocate had withdrawn and compliance with the provisions of Rule 12 of the Bar Council Rules had not been made the court did not commit any illegality or irregularity in accepting application for restoration filed after about 4 years though it should have been done so only after awarding reasonable costs since the party had been negligent in not persuing its case-Costs also awarded by Board.

४. जब विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई थी तो प्रथम अपीलीय न्यायालय का यह दायित्व था कि वह प्रकरण को पुनः सुनवाई हेतु विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित करते लेकिन उनके द्वारा अपील को स्वीकार कर विधिक त्रुटि की है। साथ ही जब विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय को उलटा गया था तो प्रथम अपीलीय न्यायालय के लिये यह आज्ञापक है कि वह तनकीवार विश्लेषण कर निर्णय पारित करें। इस विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुये दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय समर्थन योग्य नहीं हैं।

९. उपरोक्त विवेचन,विश्लेषण एवं विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुये अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आक्षेपित

निर्णय व डिक्री निरस्त किये जाते हैं। प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह उभय पक्षकारान को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर देकर प्रकरण का विधि अनुसार निस्तारण करें। विचारण न्यायालय के समक्ष वाद वर्ष 1992 में दायर किया गया है जो काफी पुराना हो चुका है। इसलिये विचारण न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को आदेश दिये जाते हैं कि वह प्रकरण में दिन प्रतिदिन की तारीख पेशी नियत कर प्रकरण का शीघ्रताशीघ्र विधि अनुसार निस्तारण करें। उभय पक्षकारान को विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 13–6–2019 को उपस्थित रहने के लिये पाबन्द किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
सदस्य

(सूरजभान जैमन)
सदस्य